रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। इन पदों को नियमित आधार पर भरने के वास्ते एक लिखित परीक्षा के लिये प्रबन्ध कर लिये गये हैं और इस चयन में अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवारों के बारे में भी विचार किया जायेगा।

(ख) 455-700 रु० के वेतनमान में सी०एम आई० का पद अभी भी मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

टुंडला में यार्ड, प्लेटफार्म और लोको शेड में चोरी के मामले

3066. **श्री बाला साहिब पवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टुंडला में सितम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 तक यार्ड, प्लेटफार्म और लोकोशेड से चोरी के कितने मामलों का पता लगा है और इस अवधि में कितने मामले दर्ज किए गये ; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी कि अपराध और चोरी के मामलों को पंजीकृत किया जाए, अपराधियों को पकड़ा जाये और उन्हें उचित दण्ड दिया जाये ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सितम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 तक की अवधि में टुंडला में यार्डों, प्लेटफार्मों और लोको शेडों से चोरियों के 65 मामले दर्ज किये गये थे। इनमें से 49 मामलों का पता लगाया जा सका।

(ख) रेल सम्पत्ति की चोरियों के मामलों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे सभी मामले जिनकी रिपोर्ट मिलती है अथवा जिन्हें नोटिस में लाया जाता है, उपयुक्त वैध कार्यवाही करने के लिये दर्ज किये जा रहे हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है।

Consultative machinery of Indian Railways

3067. SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE:
SHRI BAPU SAHEB PARULEKAR:
SHRI CHINTAMANI JENA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided not to reconstitute the dissolved consultative machinery of the Indian Railways; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). No, the Railway Users' Consultative Committees are in the process of reconstitution.

दिल्ली नगर निगम के वर्ष 1973 से निलम्बित फार्मेसिस्ट तथा निलम्बन भत्ते का भुगतान न किया जाना

3068. **श्री निहाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधीन अस्पतालों में नियुक्त ऐसे फार्मासिस्टों की कुल संख्या